



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म की घटना कारित करने के आरोपी साहिल को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 07 वर्ष का कठोर कारावास व 25,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-



अवगत कराना है कि वर्ष 2019 में अभियुक्त साहिल पुत्र रमेश निवासी बावली थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 122/2019 धारा 363/354/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 04.04.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो कोर्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त साहिल को दोषी पाते हुए 07 वर्ष के कठोर कारावास व 25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



श्री नरेन्द्रपवार
एडीजीसी



है0का0 पंकज कुमार
कोर्ट पैराकार

@baghpatpolice

baghpatpolice

Baghpat Police





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 04.04.2026

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 208/26 धारा 137(2)/351/65 बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 208/26 धारा 137(2)/351/65 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



नोट- उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अपहृता को थाना बडौत पुलिस द्वारा दिनांक 29-03-2026 को बरामद किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

सचिन उर्फ कुन्नु पुत्र रविन्द्र निवासी ग्राम भैंडापुर थाना चांदीनगर जनपद बागपत उम्र 22 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री निकलेश रस्तोगी थाना बडौत, बागपत
- 2-का0 406 रविन्द्र भाटी थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3-का0 301 मुलायम सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली खेकडा दिनांक 04.04.2026

थाना कोतवाली खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान साहिद पुत्र महफूज के ट्यूबवैल से चोरी करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ 01 स्टार्टर, 03 मीटर कॉपर केबिल का तार, एक स्टार्टर ऑपरेटर, एक ट्यूबवैल के गेट का टूटा हुआ ताला, चोरी करने में प्रयुक्त औजार एक आरी, एक बडा पेंचकश, एक स्कूईच, 9 पाने, 9 चाबी, 4 आरी ब्लेड, 4 रस्सी के बन्डल सहित एक थैला, 03 अवैध चाकू, 2 मोबाईल फोन व घटना में प्रयुक्त एक गाडी अर्टिका नं0 UP87AT3585 बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरो/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान साहिद पुत्र महफूज निवासी कस्बा रटौल थाना खेकडा के ट्यूबवैल से चोरी करते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ 01 स्टार्टर, 03 मीटर कॉपर केबिल का तार, एक स्टार्टर ऑपरेटर, एक ट्यूबवैल के गेट का टूटा हुआ ताला, चोरी करने में प्रयुक्त औजार एक आरी, एक बडा पेंचकश, एक स्कूईच, 9 पाने, 9 चाबी, 4 आरी ब्लेड, 4 रस्सी के बन्डल सहित एक थैला, 03 अवैध चाकू, 2 मोबाईल फोन व घटना में प्रयुक्त एक गाडी अर्टिका नं0 UP87AT3585 बरामद हुई है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर मु0अ0स0 103/26 धारा 305/331(4)/317(2)/3(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट:- अभियुक्तों द्वारा पूर्व में थाना खेकड़ा क्षेत्र /थाना चांदीनगर क्षेत्र के ट्यूबवैल से सामान चोरी करना स्वीकार किया गया है जिसके सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर मु.अ.स. 09/26 धारा 303(2)/324(4) बीएनएस, मु.अ.स. 19/26 धारा 303(2) बीएनएस तथा थाना चाँदीनगर के मु.अ.स. 32/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है, जिनमें अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आये हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. सोनू पुत्र चमन सिंह निवासी ईदगाह बस्ती चामुण्डा चौकी, थाना मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद उम्र 36 वर्ष।
2. अलाउद्दीन पुत्र अब्दुल हमीद निवासी बाफर, थाना जानी, जनपद मेरठ, उम्र 25 वर्ष।
3. मोनू पुत्र राकेश निवासी ईदगाह बस्ती चामुण्डा चौकी, थाना मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त सोनू का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 103/26 धारा 305/331(4)/317(2)/3(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकड़ा जपनद बागपत।
2. मु0अ0सं0 09/26 धारा 303(2)/324(4) बीएनएस थाना खेकड़ा जपनद बागपत।
3. मु0अ0सं0 19/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना खेकड़ा जपनद बागपत।
4. मु.अ.स. 32/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना चांदीनगर जपनद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त अलाउद्दीन का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 103/26 धारा 305/331(4)/317(2)/3(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकड़ा
2. मु0अ0सं0 09/26 धारा 303(2)/324(4) बीएनएस थाना खेकड़ा जपनद बागपत।
3. मु0अ0सं0 19/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना खेकड़ा जपनद बागपत।
4. मु.अ.स. 32/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना चांदीनगर जपनद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त मोनू का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 103/26 धारा 305/331(4)/317(2)/3(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकड़ा जपनद बागपत।
2. मु0अ0सं0 09/26 धारा 303(2)/324(4) बीएनएस थाना खेकड़ा जपनद बागपत।
3. मु0अ0सं0 19/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना खेकड़ा जपनद बागपत।
4. मु.अ.स. 32/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना चांदीनगर जपनद बागपत।

बरामदगी का विवरण

- एक स्टार्टर,
- 03 मीटर कॉपर केबिल का तार,
- एक स्टार्टर ऑपरेटर,
- एक ट्यूबवैल के गेट का टूटा हुआ ताला,
- एक आरी,
- एक बडा पेंचकश,
- एक स्कूईच,
- 09 पाने,
- 09 चाबी,
- 04 आरी ब्लेड,
- 04 रस्सी के बन्डल सहित एक थैला,
- 03 अवैध चाकू (तीनो अभियुक्तों से बरामद),
- 2 मोबाईल फोन (विवो, रियलमी)
- घटना में प्रयुक्त एक गाडी अर्टिका नं0 UP 87 AT 3585

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री भूरेन्द्र सिंह चौहान थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 2-उ०नि० श्री राहुल यादव थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 3-उ०नि० श्री विकास कुमार थाना खेकड़ा
- 4-है०का० 847 राकेश यादव थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 5-है०का० 897 जयवीर यादव थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 6-है०का० 08 मुकेश कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 7-है०का० 115 वीरपाल सिंह थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 8-का० 997 सोनू यादव थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली खेकडा

दिनांक 04.04.2026

थाना कोतवाली खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 02 अवैध तमन्चे .315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 02 अवैध तमन्चे .315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुए है।

उक्त के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0स0 102/26 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. शौकीन पुत्र ताहिर निवासी कस्बा रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत उम्र करीब 20 वर्ष ।
2. सुहैल पुत्र साबूद्दीन निवासी ग्राम पांची थाना चांदीनगर जनपद बागपत उम्र करीब 19 वर्ष ।

गिरफ्तार अभियुक्त शौकीन पुत्र ताहिर का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 408/25 धारा 115(2)/126(2)/324(4)/351(3)/352 बीएनएस थाना खेकडा जनपद बागपत ।
2. मु0अ0सं0 103/26 धारा 305/331(4)/317(2)/3(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत ।

3. मु0अ0सं0 19/26 धारा 305(2) बीएनएस थाना खेकडा जनपद बागपत ।

4. मु.अ.स. 09/26 धारा 303(2)/324(4) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त सुहैल पुत्र साबुद्दीन का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 194/22 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना चांदीनगर

2. मु0अ0सं0 103/26 धारा 305/331(4)/317(2)/3(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

3. मु0अ0सं0 19/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

4. मु.अ.स. 09/26 धारा 303(2)/324(4) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण

- 02 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर (दोनों अभियुक्तों से बरामद)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री दीपक कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

2-व०उ०नि० श्री सागर सिंह थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

3-है०का० 440 राशिद खान थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

4-है०का० 489 सुनील कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

5-है०का० 218 धर्मेन्द्र कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

6-का० 435 नवीन नागर थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

7-का० 94 अंकित यादव थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।